

## OFFICE NOTE SHEET

91  
 अधिकारी  
 73 की गिर  
 का ब्योरा  
 रबी (उन्हाल)

फरसल का नाम	स्थिति	असिधित
11	12	13
-	-	
nt -126		
-	-	
nt -127		
nt -228		
nt -114		
nt -342		
nt 3-036		
3-378		

**20.5.22** पैरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. के संलग्न नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक LU2012/SGN/ 2020-21/100100 दिनांक 20.05.2022, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 9 जैड, पटवार हल्का 9 जैड भू.अ.नि. रामनगर खाता संख्या 98/27 की प्रति पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के अधीन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है जिसकी छाया प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। इसलिए उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

*[Signature]*  
 20/05/2022

अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक LU2012/SGN/2020-21/100100 दिनांक 20.05.2022, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 9 जैड, पटवार हल्का 9 जैड भू.अ.नि. रामनगर खाता संख्या 98/27 का अवलोकन किया गया। संपरिवर्तन आदेश दिनांक 20.05.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त आराजी चक 9 जैड के खाता संख्या 98/27 के मुरबा नम्बर 4 के किला नम्बर 18/1(0.126), 22/2(0.127), 23/2(0.127) कुल 0.379 हैक्टर का भू-रूपान्तरण हो चुका है। वाद ग्रस्त आराजी के संपरिवर्तन होने से प्रकरण को लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**  
 श्रीगंगानगर

